

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2021/2025

Mehboob Ali S/o Late Shri Jhafar Khan, Resident Of A-252 And
253, Murlipura Scheme, Jaipur (Raj).

-----Petitioner

Versus

1. Kailash Chand Khandelwal S/o Late Shri Nathulal Khandelwal, Resident Of C-29, Bhagwandas Road, C-Scheme, Jaipur (Raj).
2. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Gaurav Rathore

For Respondent(s) : Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

08/04/2025

विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क है कि प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 10.09.2024 के द्वारा याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 14.08.2024 की क्रियान्विति को स्थगित करते हुए 20 प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश दिए गए हैं और इस संदर्भ में याचिकाकर्ता को 60 दिवस की अवधि के भीतर 1,60,000/- रुपये की 20 प्रतिशत राशि विचारण न्यायालय के समक्ष जमा कराने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Jamboo Bhandari vs M.P. State Industrial Development Corporation Ltd. & Ors. (2023) 10 SCC 446 में यह मत प्रकट किया गया है कि सामान्यतः धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय यह शर्त अधिरोपित कर सकता है कि अपीलार्थी 20 प्रतिशत राशि जमा कराए, तथापि जहां अपीलीय न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि 20 प्रतिशत की राशि जमा कराने का आदेश युक्तियुक्त नहीं है और इस शर्त को अधिरोपित करने से अपीलार्थी का अपील प्रस्तुत

करने का अधिकार प्रभावित होता है तो ऐसे प्रकरणों में अपवाद स्वरूप कारण दर्शित करते हुए अपीलीय न्यायालय धारा 389 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ऐसे अपवादित तथ्यों को धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम में प्रावधित राशि जो कि अधिकतम 20 प्रतिशत की राशि हो सकती है, उसके संदर्भ में आदेश पारित कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2024 पारित किया गया है, वह यांत्रिक रूप से पारित किया गया है और उसमें इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रकरण में 20 प्रतिशत की राशि जमा कराना आवश्यक है या नहीं और न्यायालय द्वारा उक्त आदेश द्वारा 20 प्रतिशत की राशि जमा कराने के आदेश देने के संदर्भ में कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किए गए हैं। अतः ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए।

प्रत्यर्थी को नोटिस जारी हो। उक्त नोटिस में संदर्भित याचिका की अतिरिक्त प्रति अधिवक्ता याची प्रस्तुत करें। उक्त नोटिस प्रत्यर्थी को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से दो सप्ताह के अंदर तामील कराया जाए। तब तक आक्षेपित आदेश दिनांक 10.09.2024, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को 20 प्रतिशत राशि विचारण न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं, उसकी क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

प्रकरण तीन सप्ताह उपरांत सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J